रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052023-246094
CG-DL-E-26052023-246094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945
No. 347]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

सं. सीएमडी-2/जी-18— भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन, 2018 की अनुसूची -II की स्कीम-X के पैरा 5 के अनुसरण में, ब्यूरो एतदद्वारा निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित शुल्क को अधिसूचित करता है। बशर्ते कि इस अधिसूचना में कुछ भी किसी उत्पाद अथवा उत्पादों के समूह के लिए अलग से अधिसूचित शुल्क को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	शुल्क प्रकार	शुल्क (₹ में)
(1)	(2)	(3)
1	लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क	2,000
2	अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क	2,000
3	लाइसेंस प्रदान करने अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रमाणन शुल्क	25,000 प्रति वर्ष
4	अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रमाणन शुल्क	10,000
5	लाइसेंस अथवा अनुरूपता प्रमाणपत्र अनुदान अथवा लाइसेंस के क्षेत्र में बदलाव हेतु	20,000 प्रति तकनीकी

	तकनीकी फाइल की समीक्षा हेतु शुल्क	फाइल
6	किसी भी स्थल के दौरे के लिए, निगरानी सहित, निरीक्षण शुल्क	20,000 प्रति व्यक्ति-दिन
7	नमूना क्रय प्रभार	वास्तविकता पर
8	परीक्षण प्रभार	वास्तविकता पर

नोट 1: ब्यूरो के पास अग्रिम शुल्क संग्रह करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोट 2: निर्माता जो भारत के क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, सभी खर्चों को वहन करेंगे, जिसमें निर्माण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला या किसी अन्य पर निरीक्षण, लेखा परीक्षा या मूल्यांकन और किसी परिसर के संबंध में ब्यूरो के प्रमाणन अधिकारी (ओं) द्वारा बिताए गए दिनों (तैनाती के स्थान से प्रस्थान के समय से वापस लौटने तक), और परीक्षण शुल्क जैसा भी मामला हो, ब्यूरो द्वारा तय किया गया की लागत शामिल है।

नोट 3: लाइसेंस प्रदान करने अथवा अनुरूपता प्रमाणन के लिए आवेदन शुल्क और वास्तविकता पर संग्रहीत शुल्क के अलावा उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सभी प्रकार के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित छूटें लागू होंगी: -

(1) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 20% की छूट।

(2) सूक्ष्म उद्यमों के लिए, इस अधिसूचना की तिथि से आरंभिक तीन वर्षों के लिए 80% की छूट और उसके बाद लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए लागू शुल्क से 10% की अतिरिक्त छूट।

(3) स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए, इस अधिसूचना की तिथि से आरंभिक तीन वर्षों के लिए 50% की छूट और उसके बाद सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम स्तर की श्रेणियों के लिए लागू ।

(4) महिला व्यवसायी उद्यमों के लिए, इस अधिसूचना की तिथि से आरंभिक प्रथम वर्ष के लिए 50% की छूट और उसके बाद एक अतिरिक्त 10% की छूट जो सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम स्तर की श्रेणियों के लिए लागू है।

(5) उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84) में परिभाषित उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए, उद्यमों के पैमाने पर ध्यान दिए बिना 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अभिव्यक्ति का अर्थ वही होगा जो इसे सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में दिया गया है।

(ii) स्टार्ट-अप का अर्थ वही होगा जो उसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में दिया गया है।

(iii) महिला व्यवसायी उद्यम को भारत में स्थित एक उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक महिला जिसके पास पूंजी का न्यूनतम वित्तीय हिस्सा 51% होगा।

एच. जे. एस. पसरीचा, वैज्ञानिक एफ और उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

[विज्ञापन-III/4/असा./129/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2023

No. CMD-2/G-18.—In pursuance of paragraph 5 of Scheme - X of Schedule - II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the Bureau hereby notifies the fee as given in the following schedule. Provided that nothing in this notification shall affect the fee separately notified for any product or group of products.

SCHEDULE

Sl. No.	Fee type	Fee (in ₹)
(1)	(2)	(3)
1.	Application fee for grant of licence	2,000
2.	Application fee for grant of certificate of conformity	2,000
3.	Certification fee for grant of licence or renewal of licence	25,000 per year
4.	Certification fee for grant of certificate of conformity	10,000
5.	Fee for review of technical file for grant of licence or certificate of conformity or change in scope of licence	20,000 per technical file
6.	Inspection fees, including surveillance, for any site visit	20,000 per manday
7.	Sample procurement charges	On actuals
8.	Testing Charges	On actuals

Note 1: The Bureau reserves the right to collect the fees in advance.

Note 2: The manufacturers which are situated outside the territory of India shall bear all expenses, including cost to the Bureau of the days spent by its certification officer(s) in connection with the inspection, audit or evaluation at the manufacturing facility, testing laboratory or any other premises (from the time of departure from the place of posting till return thereto), and testing fee as the case may be, as decided by the Bureau.

Note 3: Following concessions shall be applicable in respect of all types of fees mentioned in above table, except for application fee for grant of licence or certificate of conformity and those collected on actuals :-

(1) For small and medium scale enterprises, concession of 20%.

(2) For micro scale enterprises, concession of 80% for the initial three years from the date of this notification and an additional concession of 10% on the fees applicable to small and medium scale enterprises, afterwards.

(3) For start-up enterprises, concession of 50% for the initial three years from the date of this notification and as per its applicable micro, small or medium scale categories, afterwards.

(4) For women entrepreneur enterprises, concession of 50% for the initial first year from the date of this notification and an additional concession of 10% afterwards on its applicable micro, small or medium scale categories, afterwards.

(5) For north-eastern areas as defined in the North-Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), an additional concession of 10% irrespective of the scale of the enterprises.

Explanation:

(i) The expression micro, small and medium enterprise shall have the meaning as assigned to it in the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(ii) A start-up shall have the meaning as assigned to it in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(iii) A woman entrepreneur enterprise shall be defined as an enterprise situated in India, owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital.

H. J. S. PASRICHA, Scientist F & Dy. Director General (Certification)

[ADVT.-III/4/Exty./129/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA